

1. नवीन आवेदन के लिए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करें।



2. यहाँ नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर प्रक्रिया प्रारंभ करें। जिससे नुम्नानुसार स्क्रीन प्राप्त होगी।



3. यहाँ पर कृषक का मोबाइल नंबर जिससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें। एप्लीकेशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जाँच करेगा। OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी।

सामान्य जानकारी

आवेदक का नाम (अंग्रेजी) *	आवेदक का नाम (हिंदी) *	पिता / पति का नाम *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
जिला *	तहसील *	गांव *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ब्लॉक/सभा *	विधानसभा *	गांव का चयन करें *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
पिन कोड	मोबाइल नंबर *	ईमेल आईडी
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
लिंग *		
<input type="radio"/> पुरुष <input type="radio"/> महिला <input type="radio"/> अन्य		

4. एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत आपको निम्नानुसार स्क्रीन प्राप्ती होगी |

5. यहाँ पर कृषक का आधार ईकेवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वघोषणा, जमीन से सम्बंधित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी | जिसके प्रत्येक चरण नीचे दिए गए हैं-

a. आधार eKYC – किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के किये केवायसी किया जाता है जो कि अंग्रेजी शब्द Know Your Customer का छोटा रूप है | योजना के प्रावधानों के अनुरूप आधार आधारित ई- केवायसी (e-KYC) किया जाना आवश्यक है |आधार आधारित ई- केवायसी करने से व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त हो जाती है जिससे आवेदक को किसी भी तरह के अन्य पहचान प्रमाण को जमा करने की जरूरत नहीं होती है |इसे करने के लिए दो आप्शन उपलब्ध कराये गए हैं (i) OTP द्वारा (ii) बायोमेट्रिक द्वारा | जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है उसका eKYC बायोमेट्रिक मशीन द्वारा किया जा सकता है |

eKYC होने पर निम्नानुसार स्क्रीन प्राप्त होगी।

E-KYC सफलतापूर्वक किया जा चुका है।	
E-KYC नाम :	XXXXXXXXXXXX
E-KYC आधार क्रमांक :	XXXXXXXX3445
E-KYC किये जाने कि दिनांक :	11-02-2020 13:12
E-KYC किये जाने कि नेटवर्क IP :	164.100.146.66

[Next](#)

यदि किसी कारणवश आधार eKYC नहीं हो पाता है तो पोर्टल 3 प्रयासों के बाद स्वघोषणा पर आगे की कार्यवाही जारी रखेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों में दी गयी जानकारी का अलग से सत्यापन कराया जा सकता है एवं किसी तरह की भ्रामक एवं गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

b. बैंक अकाउंट की जानकारी- आवेदक की बैंक संबंधी जानकारी रखने का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं होता है या कृषक भविष्य में योजना अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है तब पंजीकरण शुल्क / जमा किये गए कृषक अंश को दिए गए बैंक अकाउंट में वापसी जमा कराया जा सके।

बैंक खाता नाम *	बैंक खाता संख्या *
<input type="text" value="बैंक खाता नाम"/>	<input type="text" value="बैंक खाता संख्या"/>
बैंक IFSC कोड *	बैंक जानकारी प्राप्त करें
<input type="text" value="बैंक IFSC कोड"/>	
<p>⚠ पहले IFSC कोड दर्ज कर बैंक जानकारी प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आप बैंक IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम दर्ज कर सुरक्षित कर सकते हैं।</p>	
बैंक का नाम *	बैंक शाखा का नाम *
<input type="text" value="बैंक का नाम"/>	<input type="text" value="बैंक शाखा का नाम"/>
सुरक्षित करें Next	

c. समग्र की जानकारी (वैकल्पिक) - आवेदक की डेमोग्राफिक जानकारी के लिए आवश्यक है कि उसका समग्र आईडी के माध्यम से सत्यापन किया जावे। यहाँ पर आवेदक को अपना समग्र आईडी तथा परिवार आईडी की जानकारी दर्ज करना होगा।

d. जातिवर्ग की जानकारी- आवेदक को अपनी जातिवर्ग (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा की जानी अनिवार्य है।

जाति *

जाति का चयन करें ▼

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जातिवर्ग के सम्बन्ध में प्रदान की गयी समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

[सुरक्षित करें](#) [Next](#)

e. खसरा मैपिंग की जानकारी - योजना प्रावधान अंतर्गत राज्य में कृषि भूमि पर ही योजना का लाभ ले सकते हैं। धारित कृषि भूमि के सत्यापन के लिए आवेदक के आधार नंबर से लिंक खसरे जो कि यहाँ दी गयी सारणी में आ रहे हैं, में से किसी खसरे में सोलर पंप लगाया जाना प्रस्तावित है, को चुनना होगा। यदि भूअभिलेख से खसरे प्राप्त नहीं होते हैं तो आवेदक अन्य खसरे चुन सकता है एवं आगे की कार्यवाही जारी रख सकता है। चुने गए अन्य खसरे का सत्यापन अलग से किया जा सकता है।

[अपने आधार से जुड़े खसरे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

[अन्य खसरे लिंक करने हेतु क्लिक करें](#)

[Next](#)

(i) आधार से जुड़े खसरे प्राप्त करना – यदि कृषक के खसरे की जानकारी आधार से जुड़ी हुई है तो सिस्टम स्वतः ही खसरो की सूची ले आवेगा। यहां उल्लेखनीय है कि आधार से जुड़े खसरे लाने के लिए सम्बंधित कृषक का eKYC होना आवश्यक है।

आधार से जुड़े खसरे चुनें
✕

खाता चुनें	जिला	तहसील	गाँव	हल्का	बसरा क्रमांक	भूमि स्वामी	खसरा क्षेत्र	खसरा	भूमि प्रकार
<input type="checkbox"/>	सिवनी	बरघाट	सिवनी	११	१११	राम	१११११	१११	खेती

आधार से जुड़े खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें

उक्त स्क्रीन अनुसार जिस भी खसरे को लिंक करना है उसे चुनकर आधार से जुड़े खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक कर करने से खसरे आवेदन के लिए सूचीबद्ध हो जावेंगे।

(ii) यदि सम्बंधित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नहीं हैं तो अन्य खसरे लिंक करने हेतु क्लिक करें बटन पर क्लिक करने से सिस्टम आपको निम्नानुसार स्क्रीन उपलब्ध करावेगा

अन्य खसरे चुनें
✕

जिला *

जिले का चयन करें
▼

तहसील *

तहसील का चयन करें
▼

गाँव *

गाँव का चयन करें
▼

खसरे *

खसरे का चयन करें
▼

अन्य चुनें खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें

यहाँ से कृषक की भूमि जिस भी ग्राम में है, उस ग्राम को चुनें, सिस्टम चुने गए ग्राम के समस्त खसरे सूची में उपलब्ध करावेगा। ध्यान रहे कि ग्राम चुनने पर सभी खसरे की सूची प्राप्त करने में सिस्टम को कुछ समय लगता है अतएव थोड़ा इंतजार करना होगा।

अब चुने गए खसरे को जोड़ने के लिए अन्य चुने खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन को दबावें।

अपने आधार से जुड़े खसरे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

अन्य खसरे लिंक करने हेतु क्लिक करें

आपके द्वारा चुनें खसरे निम्न है ,सत्यापन कर सुरक्षित करें

खाता चुनें	जिला	तहसील	गाँव	हल्का	बसरा क्रमांक	भूमि स्वामी	खसरा क्षेत्र	खसरा	भूमि प्रकार	Action
<input type="checkbox"/>	सिवनी	बरघाट			303		4.5300	303	निजी	<input type="button" value="X"/>

मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

खसरे चुन कर सुरक्षित करें

अंत में मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, के चेकबाक्स को चुनकर स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।

f. सोलर पंप जानकारी- अंत में चाहे गए सोलर पंप की जानकारी नीचे दिए गए फार्म अनुसार दर्ज की जानी होगी। यहां उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर फील्डज में केवल वही खसरे नंबर आवेगें जो कि पूर्व चरण में जोड़े गए हैं।

सोलर पंप जानकारी

खसरा नंबर *

खसरा नंबर का चयन करें

स्रोत खसरे पर विद्युत कनेक्शन की स्थिति *

स्रोत खसरे पर विद्युत कनेक्शन की स्थिति का चयन करें

[View Location On MAP](#)

विद्युत कनेक्शन का नंबर

विद्युत कनेक्शन का नंबर दर्ज करें

जल स्रोत जिस पर सोलर पंप लगता है *

जल स्रोत जिस पर सोलर पंप लगता है का चयन करें

जल स्रोत का प्रकार *

जल स्रोत का प्रकार चयन करें

भूमिगत जल की गहराई (फिट में) *

भूमिगत जल की गहराई दर्ज करें

बोरवेल की गहराई (फिट में) *

बोरवेल की गहराई दर्ज करें

दैनिक पानी की आवश्यकता (ली. में) *

दैनिक पानी की आवश्यकता दर्ज करें

जलस्रोत से पैनल की दूरी (फिट में) *

जलस्रोत से पैनल की दूरी (फिट में) दर्ज करें

सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार *

सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार का चयन करें

चाहे गए सोलर पंप की जानकारी

सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार

द्वितीयक (किन्सन) अंश (हजार में)

डिस्कॉर्ज (लीटर में प्रतिदिन)

जैसे ही आप सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार चुनेंगे, उसके नीचे दी गयी टेबल में कृषक अंश की राशि आ जावेगी।

सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार	हितग्राही (किसान) अंश (हजार में)	डिस्कवर्ड (लीटर में प्रतिदिन)
2 एच.पी. डी.सी. सरफेस	23000	10 मी. के लिए 180000, चट ऑफ़ डायनैमिक हेड 12 मी.

[सुरक्षित करें](#)
[Next](#)

अब सुरक्षित करें पर क्लिक करके आवेदन के अंतिम चरण में जा सकते हैं।

g. जानकारी एक नजर में – अब अंत में पोर्टल सभी भरी गयी जानकारी को प्रदर्शित करेगा | यहाँ पर जाँच कर लेवें | आवश्यक होने पर किसी भी चरण पर जाकर जानकारी को बदला जा सकता है।

सोलर आवेदन होम → जानकारी एक नजर में

सामान्य आधार e-KYC बैंक अकाउंट सम्पत्त सत्यापन जति घोषणा खराब भूमि सोलर पंप जानकारी एक नजर में

आपके द्वारा भरी गयी जानकारी निम्नानुसार है। कृपया आगे बढ़ने के पूर्व भरी गयी जानकारी की जाँच कर लेवें एवं आवश्यक होने पर सुधार करें। इस चरण के बाद जानकारी में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

सामान्य जानकारी

आवेदक का नाम (अंग्रेजी) :	आवेदक का नाम (हिंदी) :	पिता / पति का नाम :
जिला :	तहसील :	गाँव :
पिन कोड :	मोबाइल नंबर :	ईमेल आईडी :
लिंग :		

सबसे अंत में आवेदक को योजना की दी गयी शर्तें तथा दी गयी जानकारी की सत्यता संबंधी स्वाघोषणा दिए गए चेकबाक्स पर क्लिक कर करनी होगी।

- निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रु. 5,000/- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से 'मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल' को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- सोलर पम्प स्वतः उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीपन राशि रु. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी व कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- निर्धारित तथ्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा।
- चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को योग्य राशि ऑनलाइन माध्यम से यौध ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
- राशि प्राप्त होने के परचाल लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयवधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगी।
- सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरान्त समस्त संबंधित हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत स्थापित सोलर पम्प की जानकारी वाला बोर्ड सोलर पम्प पर लगाया जाएगा।
- हितग्राहियों द्वारा आवश्यकता पहचाने पर मुख्य रोड से साईट (जहाँ पर सोलर पम्प की स्थापना की जानी है) वहाँ तक के ट्रान्सपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा।
- किसी भी प्रकार की टूट-फूट/बेरी या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तीन दिवस में पुष्टि में एक आई.आर. करे एवं स्थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्काल सूचित करें। ताकि स्थापनाकर्ता इकाई Insurance Claim हेतु कार्यवाही कर सके। Insurance Company द्वारा मान्य होने पर ही टूट-फूट / बेरी या क्षतिग्रस्त हेतु सुधार कार्य मान्य होगा।
- पम्प स्थापना के उपरान्त स्थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्पनी का मुख्यालय का दूरभाष नम्बर प्रदेश स्तर का सर्विस सेन्टर का दूरभाष नम्बर एवं जिला स्तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्बर अवश्य प्राप्त करें।

☞ मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाय समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मैंने सोलर पम्प स्थापना के नियम, शर्तें एवं दिशा-निर्देश को पूर्ण समझ लिया है।

[कृपया जानकारी जाँच कर आवेदन को सुरक्षित करें](#)

[Print](#)


यहाँ से जानकारी को प्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंटित कर SMS के माध्यम से सूचित करेगा तथा आपको आनलाइन पेमेण्ट हेतु आगे बढायेगा।



मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना हेतु मोबाइल लॉग इन ओ.टी.पी. - 6918 है |

12:41



कृषक , आपका मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का आवेदन क्रमांक - [202012](#) प्राप्त हो गया है, कृपया कृषक अंशदान का भुगतान पूर्ण करें |

13:43



मुख्यमंत्री सोलर पंप अनुदान योजना पंजीकरण शुल्क

- पंजीकरण शुल्क की राशि रू 5000 का भुगतान आनलाइन किया जावेगा।
- शेष राशी 18000 का भुगतान आवेदन के अनुमोदन के बाद किया जावेगा।
- एमपी आनलाइन तथा आनलाइन भुगतान के तरीके (नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या केश कार्ड) के अनुसार उनके शुल्क अतिरिक्ति देय होंगे। जो कि आगे आने वाले पेमेंट गेटवे पर उल्लेखित रहेंगे।

मुख्यमंत्री सोलर पंप अनुदान योजना - पंजीकरण शुल्क

Application No.: 202012

Date : 11/02/2020

2 एच.पी. डी.सी. सरफेस

5000

Total amount :

₹5000

Total Amount Rs. : ₹5000.00

Pay Now

यहाँ पर Pay Now बटन पर क्लिक कर आनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढ़ा जा सकता है। पेमेंट गेटवे MPOnline के पेमेंट गेटवे के माध्यम से संपन्न होगी। यहाँ पर एमपीआनलाइन के पेमेंट गेटवे के चार्जस जुड़कर भुगतान किया जाना होगा।

MPOnline Payment Gateway

Service Name:	Solar Pump Scheme	<input checked="" type="radio"/> KIOSK <input type="radio"/> CITIZEN
Reference Number:	SL200211135858iX13	User ID: <input type="text"/>
Applicant Name:		
Amount:	RS. 5,000.00	Password: <input type="text"/>
Portal Charge:	Rs. 18.00	
Total Amount :	Rs. 5,018.00	
Date And Time :	11/Feb/2020 02:00 PM	

8 + 1 =

यदि कृषक स्वयं अपने कंप्यूटर से आनलाइन भुगतान करना चाहता है तो Citizen आप्शन के माध्यम से आगे बढ़ना होगा जिससे आनलाइन भुगतान के सभी विकल्प निम्नानुसार प्राप्त होंगे –

MPOnline Payment Option

<input checked="" type="checkbox"/> Net Banking	<h3>Net Banking</h3> <ul style="list-style-type: none"> Free NetBanking for All Banks (HDFC CCAvenue PG) No transaction-processing fees for Net Banking of All Banks Only for SBI A/C Holders No transaction-processing fees SBI ePay For State Bank of India- Rs. 3.0 per Transaction. For Other Banks- Rs. 7.0 per Transaction. Paytm Payment Gateway ₹ 5 + GST service charges as transaction-processing fees for every amount PayGov India(All Major Banks) NDML for Govt. of India Rs 5 + service charges as transaction-processing fees for amount upto Rs 500, Rs 10 + service charges as transaction-processing fees for any amount from Rs 501 and above
<input type="checkbox"/> Debit / Credit Card	
<input type="checkbox"/> IMPS	
<input type="checkbox"/> UPI	
<input type="checkbox"/> Wallet	

पेमेण्ट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जावेगा तथा SMS के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हो जावेगी।